

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 06/06/2025

क्रमांक/ 690/2025/वि-5/22/स्था.

राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे तालिका के कॉलम-02 में दर्शाए गए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रशासकीय आधार पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम-05 में दर्शाए गये स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद पर पदस्थ करता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	एम्पलाई कोड	वर्तमान पदस्थापना (जनपद-जिला)	प्रस्तावित पदस्थापना (जनपद-जिला)
1	2	3	4	5
1	श्री ब्रह्म स्वरूप हंस, मु.का.अ.ज.पं.	371003876	निवाडी जिला निवाडी	पिपलोदा जिला रतलाम
2	सुश्री कंचन डोगरे, मु.का.अ.ज.पं.	32011358	बडवाह जिला खरगोन	डिण्डौरी जिला डिण्डौरी
3	श्री मुकेश जैन, मु.का.अ.ज.पं.	304007364	जिला पंचायत इन्दौर	बडवाह जिला खरगोन
4	श्री महावीर एन. बोद्ध, मु.का.अ.ज.पं.	320025217	मुरैना जिला मुरैना	पहाडगढ जिला मुरैना
5	श्री राजेश नरेन्द्र सिंह मु.का.अ.ज.पं.	322019919	हरई जिला छिंदवाडा	रीठी जिला कटनी
6	श्री अशोक कुमार तिवारी, मु.का.अ.ज.पं.	323019906	सीधी जिला सीधी	मैहर जिला मैहर
7	श्री देवेश सराठे, मु.का.अ.ज.पं.	30018712	बुधनी जिला सीहोर	बैरसिया जिला भोपाल
8	श्री प्रबल अरजरिया, मु.का.अ.ज.पं.	51000228	भैरुदा जिला सीहोर	पिपरिया जिला नर्मदापुरम
9	श्री आशीष अग्रवाल, मु.का.अ.ज.पं.	74016464	टीकमगढ जिला टीकमगढ	ज.पं. सिरोंज जिला विदिशा
10	सुश्री प्रभावती तेकाम, मु.का.अ.ज.पं.	232009999	उचेहरा जिला सतना	बडवारा जिला कटनी
11	श्री ए.पी. प्रजापति, मु.का.अ.ज.पं.	142004444	नरवर जिला शिवपुरी	ईसागढ जिला अशोकनगर
12	सुश्री रुषाली पोरस, मु.का.अ.ज.पं.	50024898	शुजालपुर जिला शाजापुर	इछावर जिला सीहोर
13	श्री रामपाल सिंह करजरे, मु.का.अ.ज.पं.	430023547	पहाडगढ जिला मुरैना	कैलारस जिला मुरैना
14	श्री धर्मेन्द्र यादव, मु.का.अ.ज.पं.	171024570	गरोठ जिला मंदसौर	मंदसौर जिला मंदसौर
15	श्री ओंकार सिंह ठाकुर, मु.का.अ.ज.पं.	74016281	धनौरा जिला सिवनी	गोटेगांव जिला नरसिंहपुर
16	सुश्री वंदना शर्मा, मु.का.अ.ज.पं.	342012943	सिरोंज जिला विदिशा	विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल
17	श्री बलवान सिंह मवासे, मु.का.अ.ज.पं.	360002576	हरदा जिला हरदा	रानापुर, जिला झाबुआ

6/6/25

18	श्रीमती विष्णुकांता गुप्ता मु.का.अ.ज.पं.	430012585	ईटीसी उज्जैन	विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल
19	श्री प्रदीप कुमार पाल मु.का.अ.ज.पं.	103008828	बडनगर जिला उज्जैन	खुरई जिला सागर
20	श्रीमती मीना कश्यप मु.का.अ.ज.पं.	200004614	खुरई जिला सागर	हरदा जिला हरदा
21	श्री गोर्धन मालवीय मु.का.अ.ज.पं.	20003584	सैलाना जिला रतलाम	बडनगर जिला उज्जैन
22	श्री परसोत्तम लाल यादव मु.का.अ.ज.पं.	12009172	कुंडम जिला जबलपुर	लवकुश नगर जिला छतरपुर
23	श्री संजय कुमार पाटिल मु.का.अ.ज.पं.	510000119	सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत देवास	झाबुआ जिला झाबुआ
24	श्री रघुवीर सिंह कुशवाह, मु.का.अ.ज.पं.	230003421	करंजिया जिला डिण्डौरी	पोषण आहार संयंत्र मण्डला जिला मण्डला एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.प.निवास जिला मण्डला का अति. प्रभार
25	श्री जितेन्द्र धाकरे, मु.का.अ.ज.पं.	136011931	नटेरन, जिला विदिशा	सुसनेर जिला आगर मालवा
26	श्री एस.एन. पानसे, मु.का.अ.ज.पं.	100002441	फंदा जिला भोपाल	साँची जिला रायसेन

- 2/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की पदस्थापना होने पर यदि पूर्व से विकास खंड अधिकारी प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ है तो वह प्रभार से मुक्त होकर विकास खंड अधिकारी के रूप में पदस्थ रहेंगे ।
- 3/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 14 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरण शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु-उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
- 4/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 42 के अनुसार स्थानांतरण आदेश जारी होने के पश्चात दो सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है।
- 5/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 45 के अनुसार स्थानांतरण आदेश में उल्लेखित एम्पलाई कोड वाले कर्मचारी / अधिकारी का कार्यमुक्ति के लिये पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समयावधि दो सप्ताह के उपरांत उक्त कर्मचारी / अधिकारी का वेतन का आहरण जिस स्थान से स्थानांतरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद किया जाये । यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी । इसके लिए कार्यालय प्रमुख, आहरण व सवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा ।
- 6/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 47 के अनुसार कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकार किया जा सकेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


6/6/25

(हृदयेश श्रीवास्तव)

उप सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक/ 691 /2025/वि-5/22/स्था.

भोपाल, दिनांक 06/06/25

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/निज सचिव राज्य मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. भोपाल ।
4. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
5. निज सहायक, प्रमुख सचिव / उप सचिव म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
6. विकास आयुक्त, म.प्र. भोपाल ।
7. संचालक, पंचायतराज संचालनालय विकास भवन भोपाल ।
8. समस्त कार्यक्रम / योजना प्रमुख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल मध्यप्रदेश ।
9. संभाग आयुक्त मध्यप्रदेश ।
10. कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश ।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
13. संबंधित सर्व श्री/श्रीमती की ओर पालनार्थ ।
14. गार्ड फाइल ।

 6/6/25

उप सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग